विषय: 'राज्य स्तरीय विकिरण संरक्षा निदेशालय (डीआरएस) को प्राधिकरण बंद करने' पर वेबसाइट अपडेट

Sub: Website Update on 'Discontinuation of Authorization to State Level Directorate of Radiation Safety (DRS)

नब्बे के दशक के उत्तरार्ध में, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) ने चिकित्सा निदान एक्स-रे सुविधाओं के प्रभावी विनियामक कवरेज के लिए राज्य स्तरीय विकिरण संरक्षा निदेशालय (डीआरएस) की स्थापना की पहल का समर्थन किया। डीआरएस की स्थापना के लिए पहला प्राधिकरण मार्च 1999 में केरल सरकार को जारी किया गया था। इसके बाद एईआरबी ने क्रमिक रूप से, कुछ अन्य राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और डीआरएस के कामकाज के लिए प्राधिकरण जारी किया।

In late nineties, Atomic Energy Regulatory Board (AERB) supported the initiative of setting up of State Level Directorate of Radiation Safety (DRS) for effective regulatory coverage of medical diagnostic X-ray facilities. The First authorization for setting up of DRS was issued to Government of Kerala in March 1999. Progressively, AERB had signed Memorandum of Understanding with few other States and issued authorization for functioning of DRS.

वर्तमान में, राज्य सरकारों के साथ सभी समझौता ज्ञापन समाप्त हो गए हैं और वैध प्राधिकरण के साथ कोई डीआरएस कार्यात्मक नहीं है। अनुभव प्रतिक्रिया के आधार पर, चिकित्सा निदान एक्स-रे सुविधाओं पर नियामक नियंत्रण को मजबूत करने की दिशा में एईआरबी द्वारा विभिन्न विकास और पहल किया गया है, एईआरबी ने राज्य स्तरीय डीआरएस को प्राधिकरण जारी करने की प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया है। Currently, all MOUs with State Governments have lapsed and there is no DRS functional with valid authorization. In view of the experience feedback, various developments and initiatives by AERB towards strengthening of regulatory control over medical diagnostic X-ray facilities, AERB has decided to discontinue the practice of issuing authorization to State Level DRS.